



कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)



क्र./कलेक्टर दर/2023/317

छुरिया, दिनांक : 31/03/2023

—: विज्ञापन :—

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2023/एन.एस.-1749 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15.02.2023 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले में स्वीकृत आर.ओ.पी. वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रिक्त पदों को अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति उपरांत तालिकानुसार रिक्त पदों की अस्थाई रूप से कलेक्टर दर पर भर्ती ली जानी है। विकासखण्ड-छुरिया अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. | सेवा में लिये जाने वाले पद का नाम | पद संख्या | सेवा प्रदाय राशि एकमुश्त | अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता |
|------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| 1 | Jr. Secretarial Assistant (NCD/PADA) | 2 | 11130.00 | Graduate with at least 1 year Diploma in Computer Applications, Hindi, English Typing Must be required |
| 2 | TBHV | 1 | 11910.00 | 1. Graduate 2. Certificate course in comptuer operation (minimum 2 month) |

भर्ती हेतु समय सारणी :-

| क्र. | सेवा में लिये जाने वाले पद का नाम | आवेदन करने का तिथि व समय | पात्र/अपात्र सूची प्रकाशन तिथि | दावा आपत्ति हेतु तिथि व समय | मेरिट सूची प्रकाशन तिथि |
|------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Jr. Secretarial Assistant (NCD/PADA) | दिनांक 05.04.2023 से 11.04.2023 तक | दिनांक 17.04.2023 | दिनांक 25.04.2023 से 26.04.2023 तक | दिनांक 01.05.2023 |
| 2 | TBHV | समय-प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक | | समय-प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक | |

अतः उपरोक्तानुसार इच्छुक समस्त अर्हताधारी अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज के साथ निर्धारित समय में कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में स्वयं उपस्थित होकर या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप जिले की वेबसाइट www.rajnandgaon.nic.in में तथा कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन/डाक/अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन से संबंधित समस्त दिशा-निर्देश, नियम एवं शर्तें कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के सूचना पटल तथा जिले की वेबसाइट www.rajnandgaon.nic.in पर देखी जा सकती है।

नोट : जिले की वेबसाइट पर केवल विज्ञापन प्रारूप एवं नियम शर्तें दर्शित होगा। विज्ञापन से संबंधित अन्य समस्त जानकारी यथा पात्र/अपात्र सूची, दावा आपत्ति, मेरिट सूची संबंधी जानकारी कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के सूचना पटल पर ही दी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।

—:: नियम व शर्तें ::—

1. विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशानिर्देश कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव के सूचना पटल पर प्रसारित होगी। अन्य किसी माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जावेगी।
2. आवेदन निर्धारित प्रारूप में वॉछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं होने, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा।



3. आवेदन बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा जो खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव के नाम से प्रेषित होगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन हेतु निर्धारित तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। अर्हता सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आवेदन हेतु निर्धारित तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अनिवार्य योग्यता संबंधी स्व प्रमाणित दस्तावेज के साथ निर्धारित समय में कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित होकर या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
6. निर्धारित तिथि एवं कार्यालयीन समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन अथवा डाक या अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. चयन प्रक्रिया का आधार प्राविण्य सूची होगी। अभ्यर्थियों के पात्र पाये जाने पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण किया जावेगा।
8. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है, को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि में आवेदन के साथ गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
9. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यू.जी.सी./छ.ग.शासन/केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का संबंधित काउंसिल में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. विज्ञापित पदों पर चयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राजनांदगांव जिले के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव के निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का निवासी प्रमाण पत्र धारितों के आवेदन को ही मान्य किया जावेगा।
11. विज्ञापित पदों हेतु नियमित/संविदा भर्ती के संबंध में सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त होते ही तत्काल सूचित कर कलेक्टर दर पर रखे गये उक्त समस्त पदों की सेवा समाप्त कर नियमित/संविदा भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।
12. नियुक्ति आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
13. कलेक्टर दर पर रखे गये कर्मियों द्वारा नियमितिकरण की मांग तथा सेवा समाप्त न किये जाने हेतु कोई मांग नहीं की जावेगी न ही किसी धरना प्रदर्शन इत्यादि में सम्मिलित होंगे इस बाबत कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. सेवा प्रदाता 89 दिवस के लिये होगी जो पूर्णतः अस्थायी होगी, आवश्यकता होने पर आगामी दिवसों में सेवा वृद्धि किया जावेगा।
15. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अनुरूप कार्य कुशलता नहीं पाये जाने पर तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा।
16. आयु सीमा 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष तक होना चाहिए। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. सेवा प्रदाता अपने कार्यकाल के दौरान निजी संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं, यदि कोई उम्मीदवार सेवा अवधि के दौरान निजी संस्था में कार्य करते पाये जाते हैं, तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

18. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ क्रमवार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय अभिलेखों की मूलप्रति के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

18.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/8वीं अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)

18.2 संबंधित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची।

18.3 संबंधित डिप्लोमा/डिग्री का प्रमाण पत्र।

18.4 संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। (संबंधित है तो)

18.5 जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

18.6 छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राजनांदगांव जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव के निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का निवासी प्रमाण पत्र।

18.7 जाति प्रमाण पत्र।

19. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होंगे) उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

20. सेवा प्रदाता का चयन उपरांत कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति के समय ही मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

21. विज्ञापित पदों पर चयन का आधार निम्नानुसार विभिन्न परीक्षा के अधिभार पश्चात कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर होगा।

| क्र. | पद का नाम | 10वीं | 12वीं | स्नातक/डिप्लोमा | बोनस |
|------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| 1 | Jr. Secretarial Assistant (NCD/PADA) | - | 20% | 80% | - |
| 2 | TBHV | - | 20% | 80% | - |

22. प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के विरुद्ध समस्त पात्र अभ्यर्थियों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा जिसकी वैधता विज्ञापन जारी तिथि से 01 वर्ष तक होगी।

23. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।

24. दावा आपत्ति कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है। निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी प्रकाशित सूची में अभ्यर्थियों से संबंधित टंकण त्रुटि यथा नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता के अंक, दस्तावेज संबंधी दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

25. निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति किये जाने पर उक्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

26. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विकासखण्ड स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा। न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला राजनांदगांव होगा।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)



खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामु.स्वा.केन्द्र छुरिया,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

12. संलग्न स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची :-
(निम्नांकित क्रम में आवेदन पत्र के साथ संलग्न एवं चिन्हांकित करें)
- 01 आवेदन पत्र।
02. 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची।
03. स्नातक एवं स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
04. संबंधित डिग्री।
05. संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
06. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
07. जिला रोजगार केन्द्र का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
08. छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राजनांदगांव जिला के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव के निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. का निवासी प्रमाण पत्र।
09. पहचान पत्र (शासन द्वारा मान्य किये गये समस्त पहचान पत्र)
10. जाति प्रमाण पत्र।
11. अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कु. प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त किये जा सकेंगे।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :